

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 341/24 वाद

GCMS NO : 2024/00097

पूर्व प्रकरण संख्या : 101/2020

1. नाथु पिता किशना जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी-बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला-उदयपुर (राज0)
2. तुलछीराम पिता किशना जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी-बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला- उदयपुर (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. भगवतीलाल पिता धन्ना जी डांगी उम्र बालिग, निवासी- बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज0).
2. भंवरीबाई पुत्री धन्ना जी पत्नी श्री भगाजी डांगी, निवासी-नान्दवेल (ओरडी) तहसील वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज0)
3. प्रभुबाई पुत्री धन्ना जी पत्नी श्री वक्ता जी डांगी, निवासी-टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज0)
4. नकाबाई पत्नी श्री धन्ना जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी-बिछडी तहसील निर्वा, जिला उदयपुर (राज0)
5. मोतीलाल पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी-बिछडी तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज0)
6. शान्तिलाल पिता गंगाराम जी डांगी, निवासी-बिछडी तहसील, निवासी-बिछडी, गिर्वा, जिला-उदयपुर (राज0)
7. रूपीबाई पत्नी गंगाराम जी डांगी, निवासी-बिछडी तहसील गिर्वा, जिला-उदयपुर (राज0)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:- श्री नरेन्द्र चितौड़ा अधिवक्ता वादी

श्री पन्नालाल मारु अधिवक्ता प्रतिवादी 5 से 7



निर्णय

दिनांक : 06.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम बिछडी, पटवार हल्का बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला— उदयपुर में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 262/2613 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 263 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 264 रकबा 0.1150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 265 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 266 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 267 रकबा 0.1250 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 268 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 269 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 270 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 271 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 272 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 274 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 276 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 995 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 996 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 997 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 998 रकबा 0.1550 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 999 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1000 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1001 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1002 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1781 रकबा 0.5200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1782 रकबा 0.5400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1783 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2272 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2289 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2302 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2304 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2305 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2339 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2340 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2351 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2354 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2370 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2377 रकबा 0.0150 हैक्टेयर, 2378 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, 2379 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, 2384 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2385 रकबा 0.1250 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2386 रकबा 0.0750 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2387 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2388 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2389 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2541 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2564 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2566 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2567 रकबा 0.1350 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2568 रकबा 0.1550 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2575 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2576 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2577 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, कुल 2385 किता 53 कुल रकबा 7.7300 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 वां हिस्सा निहित है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर उसका विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि विपक्षी संख्या 1 से 7 के साथ संयुक्त खातेदारी के रूप में नहीं रखना चाहते हैं तथा अपने हिस्से अनुसार विधिवत् रूप से बंटवारा करवाना चाहते हैं। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का विधिवत् बंटवारा कराने हेतु विपक्षी संख्या

1 से 7 को दिनांक 29-07-2018 को कहा लेकिन ये तैयार नहीं हुए तथा प्रार्थीगण के हिस्से की रोड साईड की भूमि में अवैध रूप से कब्जा व निर्माण करने के लिए आमादा हो गये जिससे प्रार्थीगण उसकी अन्य सहखातेदारी भूमि पर जाने से वंचित हो जायेंगे तथा रोड साईड की संयुक्त भूमि से भी वंचित हो जायेंगे। इसलिए उक्त बंटवारे का वाद आप न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 17-09-2020 को दौराने वाद विपक्षी संख्या 5. 6 व 7 द्वारा वादग्रस्त भूमि के रोड साईड की भूमि में अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से भराव डाल दिया तथा प्रार्थीगण को उनके खेत में जाने के रास्ते को बन्द करने पर आमादा हो गये व प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा हुवे तथा प्रार्थीगण तथा उसके परिवार के साथ लडाई-झगडा किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रतापनगर व जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, उदयपुर को प्रस्तुत की गई। विपक्षी संख्या 5 से 7 जबरन वाद के दौरान रोड साईड भूमि पर कब्जा कर रहे हैं ताकि मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उनको रोड की सारी भूमि मिल जावे। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की रोड साईड की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को उसके हिस्से व कब्जे से चंचित करना चाहते है तथा प्रार्थीगण का काश्त करने के लिए आने-जाने का व ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरण ले जाने का रास्ता बन्द जायेगा। इस प्रकार विपक्षीगण प्रार्थीगण का हिस्सा हडपना चाहते है तथा विपक्षीगण बिना बंटवारा किये प्रार्थीगणों की कब्जेदा भूमि पर कब्जा करना चाहते है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है तथा सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि बाद के अन्तिम निस्तारण तक विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाद वर्णित भूमि की मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा उक्त भूमि पर विपक्षीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नहीं करें तथा न ही प्रार्थीगण को उनके कब्जे से बेदखल करें व न ही उक्त भूमि को किसी को अन्तरित करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5 से 7 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षी के बीच बंटवाडा पूर्व में हो चुका है उसी के अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। हमारी कृषि भूमि का बंटवारा पूर्व में ही गांव के मीतबीर पंचों तथा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 के पूर्वज किशना जी के जीवनकाल में ही उनकी उपस्थिति में सबकी सहमति से हमारी उक्त कृषि भूमि का बंटवारा किया गया था जिसके अनुसार हम सभी खातेदार. काश्तकार हमारे हिस्से में आयी कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। सिर्फ हमारी उक्त कृषि भूमि के आराजी नम्बर हमारे हिस्से अनुसार अलग-अलग नहीं किये है। इसलिए हमारे हिस्से में आयी हमारी उक्त कृषि भूमि के आराजी नम्बर हिस्से व कब्जे अनुसार अलग-अलग कर दिये जायें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी ने हम विपक्षी संख्या 5 से 7 को कभी भी हमारी उक्त संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करवाने के लिये नहीं कहा तथा प्रार्थी का यह कहना कि विपक्षी संख्या 1 से 7 ने प्रार्थी के हिस्से की रोड साईट की भूमि पर कब्जा व

निर्माण करने पर आमादा है सरासर गलत है क्योंकि रोड साईट की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ने मकान बना रखा है। जबकि हमने प्रार्थी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा नहीं कर हमारे हिस्से में आयी जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि हमारी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है तथा हम विपक्षी संख्या 5 से 7 हमारे हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी का यह कहना कि विपक्षीगण बिना बंटवारा किये प्रार्थीगणों की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करने को आमादा है जो गलत है। क्योंकि हम सभी खातेदार हमारे हिस्से में आयी कृषि भूमि पर अनवरत् रूप से बिना एक-दूसरे की भूमि में दखलन्दाजी किये शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि हम सभी रिकोर्डेड खातेदार, काश्तकार हैं तथा पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, इसलिए विपक्षी संख्या 5 से 7 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाये।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 4 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 7 के साथ अपनी संयुक्त खातेदारी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए बटवाड़े का दावा पेश किया गया है। विपक्षीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की रोड साईड की भूमि में अवैध रूप से निर्माण करने के लिए आमदा हो रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण को अपनी अन्य खातेदारी की भूमि पर आने जाने से वंचित हो जाएंगे। वादग्रस्त आराजीयात में स्थगन आदेश के बावजूद विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के रोड साईड वाली भूमि में भराव डाल दिया गया है, तथा निर्माण कार्य कर रहे हैं। प्रार्थीगण को उनके खेत में जाने के रास्ते को बन्द करने पर आमदा हुए तथा प्रार्थीगण तथा उसके परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रतापनगर व जिला पुलिस अधीक्षक को भी की गई। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण बिना बंटवाडा किए प्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जेशुदा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विपक्षी विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 7 के पूर्वज किशना जी के जीवनकाल में ही उनकी उपस्थिति में सबकी सहमति से हमारी उक्त कृषि भूमि का बंटवारा किया गया था जिसके अनुसार हम सभी खातेदार, काश्तकार हमारे हिस्से में आयी कृषि भूमि पर काश्त कर रहे हैं, सिर्फ हमारी उक्त कृषि भूमि के आराजी नम्बर हमारे हिस्से अनुसार अलग-अलग नहीं किये हैं। हमारे हिस्से व कब्जे अनुसार अलग-अलग कर दिये जायें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 7 ने प्रार्थी के हिस्से की रोड साईट की भूमि पर कब्जा व निर्माण करने पर आमादा है, सह गलत है क्योंकि रोड साईट की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 ने मकान व मकान बना रखा

है। हम विपक्षीगण सभी रिकॉर्डेड खातेदार, काश्तकार है तथा पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि विपक्षी संख्या 5 से 7 के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाये।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गए:—

1. RRT 2011-12 (supp.) Daud khan vs Yusuf & Ors. Revision /TA No. 8187/ Jhunjunu of 2011 & Daud Khan VS Shokat Khan Revision/TA No. 8738/Jhunjunu of 2011 Page No 463
2. RRT 2013 (3) Mahesh Chand vs. Devilal Revision T.A. 8721/ Sriganganagar of 2012 Page No. 119

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश किए गए:—

1. RRD- 14-11-2008 Karamjeet Kaur Vs Gurdeep Singh & anr. Page no 762

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया एवम् अप्रार्थी द्वारा बताया कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को दुविधा हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मददेनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विश्लेषण इस प्रकार है—

1. **प्रथम दृष्टया मामला:** — उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजियात का बटवारा करवाना चाहते हैं, अपनी उक्त खातेदारी भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 7 के 7 संयुक्त खातेदारी के रूप में नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारधीन है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है दोनो उक्त भूमि अपने हक हिस्से कब्जे अनुसार काश्त करते हैं। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने Abdul Rashid Khan V.P.A.K.A. Shahul

Hamid, (2000) 10 SCC 636 अभिनिर्धारित किया है कि "Thus we have no situation to hold, even where any property is held jointly, and once any party to the contract has agreed to sell such joint property by agreement, then, even if the other co-sharer has not joined, at least to the extent of his share, he is bound to execute the sale deed. However, in the absence of the other co-sharers, there could not be any decree of any specified part of the property to be partitioned and possession given. The decree could only be to the extent of transferring the share of the appellants in such property to other such contracting party. In the present case, it is not in dispute that the appellants have 5/6th share in the property. So, the plaintiff's suit for specific performance to the extent of this 5/6th share was rightly decreed by the High Court which requires no interference." एवम् राजस्व मण्डल की वृहद्ध पीठ ने रामस्वरूप बनाम मंगू आर.आर.डी. 1977 पृष्ठ 470 के पैरा-7 में बताया गया है कि "No law has been brought to our notice which says that a person holding a share in land must get the permission of the co-sharers to dispose of his share. This is because the share owned by a person belongs to him alone and his co-sharers cannot be said to have an interest in it. The interest in the land is common but the interest in each share is individual. When the co-sharers are not concerned there can be no question of his having to obtain their permission for transferring his share. He cannot, of course, transfer a particular piece of land claiming it to represent his share. Shri Chorida's contention in fact is that a share cannot be transferred unless there is division of the holding. This is not necessary. When a share in agricultural land is transferred, the buyer steps into the shoes of the seller and becomes a co-tenant. If there is friction between the buyer and his co-tenants, they can always resort to a division of the land." उपर्युक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि प्रार्थिया अपने हिस्से में आने वाली आराजी का विक्रय कर सकती है। विवादित आराजी संयुक्त खाते की भूमि है, प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी की सह-स्वामी है। प्रार्थिया को उसके हिस्से की भूमि को विक्रय करने से अथवा उसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत बंटवाड़ा न्यायालय द्वारा किया जाता है। बंटवाड़ा न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य, गवाह, बयान के आधार पर अंतिम निर्णय किया जाता है। वर्तमान में सभी पुश्तैनी भूमि पर अपने कब्जे काश्त अनुसार कृषि कार्य करते हैं। प्रार्थी को विपक्षी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

2. **अपूरणीय क्षति:**— किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को उनके हक हिस्से से वंचित होना वह अपने अधिकारो से वंचित हो जाएगा। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण व विपक्षी अपने अपने हक व हिस्से अनुसार कृषि कार्य करते हैं, जिस पक्षकार का जो

हिस्सा होता है वह उस हिस्से में भूमि सुधार करता है। न्यायालय द्वारा जब भी बंटवाड़ा किया जाता है वो दोनों पक्षों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए किया जाता है एवम् विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने से वह अपने हक अधिकारों से वंचित रह जाता है। जिससे उनको अपूरणीय क्षति होती है। अतः यह विपक्षी के पक्ष में होने के कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :- किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्व कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार होने से विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है राजस्व ग्राम बिछडी, पटवार हल्का बिछडी, तहसील गिर्वा, जिला- उदयपुर में स्थित जिसके आराजी नम्बर 262/2613, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1781, 1782, 1783, 2272, 2289, 2302, 2304, 2305, 2339, 2340, 2351, 2354, 2370, 2377, 2378, 2379, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2541, 2564, 2566, 2567, 2568, 2575, 2576, 2577 किता 53 कुल रकबा 7.7300 हैक्टेयर भूमि में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.09.2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

प्रकरण संख्या : 31/24

अनवान : नाथु बनाम भगवती व अन्य

निर्णय : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम